निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

मि0 नं0 4/2021 प्रार्थना पत्र/बउनवान/जसराजसिंह वगैरा बनाम किशनसिंह वगैरा

1. जसराज सिंह उर्फ जयराज सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत
2. दीपसिंह उर्फ दीपराज सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत
3 महेन्द्रसिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत(आदेश दिनांक 28.06.2025 से डिलिट)
4. लक्ष्मीबाई उर्फ लक्ष्मीकंवर पुत्री महावीर सिंह जाति राजपूत
5. चन्दन सिंह पुत्र श्याम सिंह उर्फ सूरज सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान
6. कृष्णाकंवर उम्र 26 वर्ष पुत्री श्यामसिंह उर्फ सूरज सिंह पत्नी जयराज सिंह जाति राजपूत निवासी गुवाडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।
7. कविता कंवर उम्र 21वर्ष पुत्री श्यामसिंह उर्फ सूरज सिंह पत्नी प्रदीप सिंह जाति राजपूत निवासी मालोनी तहसील छीपाबडोद जिला बारां राज०। —प्रार्थीगण—

—बनाम—

1. किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी केवल नगर कोटा
2. चांद सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासीग्राम खडिया तहसील सांगोद
3. भूरसिंह माता बृजबाई पिता भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी पुलिस लाइन जयहिन्द नगर बोरखेडा कोटा।
4. नारायण सिंह माता बृजबाई पिता भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नाथूराम खेरखेडा पोस्ट मुंडवन्या तहसील छबडा जिला बारां
5. पृथ्वीसिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी म०न029 डी 99 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर
6. भंवरसिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासीग्राम गोरडी पोस्ट ननावता तहसील अटरू जिला बारां।
7. कृष्णाकंवर पुत्री बहादुरसिंह पत्नी नन्दसिंह खींची जाति राजपूत निवासी कांदलखेडी पोस्ट समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ मध्यप्रदेश।
8. गुड्डीकंवर पुत्री बहादुर सिंह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सिरसिया पोस्ट लसाडिया तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
9. भगवानकंवर पुत्री बहादुर सिंह पत्नी गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी सेदरा पोस्ट समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ मध्यप्रदेश।
10. भूलकंवर उर्फ बुलकंवर पुत्री बहादुर सिंह पत्नी दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गेलाना पोस्ट सांगरिया तहसील पिडावा जिला झालावाड।

11. मंजूकंवर पुत्री बहादुर सिंह पत्नी हिम्मत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मण्डा पोस्ट उण्डवा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा।
12. लक्ष्मीबाई पुत्री नन्दसिंह पत्नी अशोक सिंह जाति राजपूत निवासी म०न087 जवाहर कोलोनी वार्ड न028 बून्दी जिला बून्दी राजस्थान।
13. विजय सिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गोरडी पोस्ट ननावता तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान
14. ज्योति कंवर माता संतोषबाई पत्नी रणजीत सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी म०न0803 राजपूत मौहल्ला खण्डगावडी कोटा जिला कोटा
15. लक्ष्मीकंवर माता संतोषबाई पत्नी दुर्गासिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम सुआंस पोस्ट सुआंस तहसील पिडावा जिला झालावाड राजस्थान ।
16. सूरजकंवर पुत्री मदनसिंह पत्नी नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सीध्ओ श्रीगणपत सिंह राधाकृष्णा जनरल स्टोर के आगे वाला मकान दोस्तपुरा सिविल लाइन कोटा जिला कोटा
17. रामेश्वर मेहता पुत्र भैरूलाल जाति किराड निवासी सांगोद तह० सांगोद –अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार जैन (वकील प्रार्थीगण)
2. श्री किशोरीलाल चौधरी (वकील अप्रार्थी कं.1 व 17)

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :–

प्रार्थीगण की ओर से इस न्यायालय में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ कि :–

- यह कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय मे पेश कर दिया है, जिसमे प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण उम्मीद हे, प्रार्थना पत्र को वाद का अभिन्न अंग मानकर वाद पत्र के साथ पढा जावे।

- यह कि ग्राम बूढनी पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा न0746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा न0101 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा रहे है, उक्त साबिक खसरा न0101 की रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा श्री नन्दसिंह व उनके भाईयो मदनसिंह, बहादुर सिंह, छोटा सिंह, विजय सिंह, गोविन्द सिंह पिता देवीसिंह के नाम से दर्ज रही है, वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे उक्त कृषि भूमि स्व० गोविन्दसिंह पुत्र देवीसिंह, अप्रार्थीकम 2 चांद

सिंह, प्रार्थी कम 1 ता 4, स्व० बृजकंवर पत्नी नन्दसिंह, स्व० बृजबाई पुत्री देवीसिंह, स्व०बहादुर सिंह पुत्र देवीसिंह, लक्ष्मीबाई पुत्री नन्दसिंह, विजयसिंह पुत्र देवीसिंह, स्व० श्यामसिंह उर्फ सूरज सिंह पुत्र नन्दसिंह व स्व० संतोषबाई पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत के नाम से खाते में दर्ज है। खातेदार बृजकंवर पत्नी नन्दसिंह का स्वर्गवास लगभग 18 वर्ष पूर्व हो चुका है, इसी प्रकार ग्राम गोरडी जागीर पटवार हल्का ननावता तहसील अटरू जिला बारां में वर्तमान खसरा न० 1214/1426 की 0.21 हेक्टर खसरा न01221 की 1.62 हेक्टर, खसरा न0179 की 0.23 हेक्टर, खसरा न0207 की 0.18 हेक्टर, खसरा न0208 की 0.14 हेक्टर, खसरा न090 की 1.03 हेक्टर, खसरा न0 91 की 1.14 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 4.55 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे कृष्णाकंवर पुत्री बहादुर सिंह, किशन सिंह पुत्र मदनसिंह, गुड्डीकंवर पुत्री बहादुर सिंह, अप्रार्थीकम 2 चांद सिंह पुत्र नन्दसिंह, प्रार्थीगण कम 1ता4, पृथ्वीसिंह पुत्र बहादुर सिंह, बुलकंवर उर्फ भूलकंवर पुत्री बहादुर सिंह, भगवान कंवर पुत्री बहादुर सिंह, भंवरसिंह पुत्र बहादुर सिंह, मंजू कंवर पुत्री बहादुर सिंह, लक्ष्मीबाई पुत्री नन्दसिंह, विजयसिंह पुत्र देवीसिंह, सूरजकंवर पुत्री मदनसिंह, श्यामसिंह उर्फ सूरजसिंह पुत्र नन्दसिंह के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है. उक्त कृषि भूमियों पैतृक कृषि भूमियों है, जो कि खातेदारान को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई है।

• यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है, जो कि उनके पूर्वज श्री देवीसिंह जी के वंशज है, जिनके मध्य बनी आपसी सहमति से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने उक्त कृषि भूमियो का विभाजन वर्षों पूर्व से किया हुआ है, आपसी सहमति से हुए मौके पर विभाजन के फलस्वरूप श्री देवीसिंह के वंशज मदनसिंह, गोविन्द सिंह, व नन्दसिंह के हिस्से में ग्राम बूढनी की साबिक खसरा न0101 की 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि आयी थी, तथा श्री विजयसिंह, बहादुर सिंह, छोटा सिंह के हिस्से में ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू मे खसरा न01214/1426, 1221, 179, 207, 208, 90, 91 इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 4.55 हेक्टर कृषि भूमियों आयी थी।

• यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमियो के खातेदार मदनसिंह पुत्र देवीसिंह, गोविन्द सिंह पुत्र देवीसिंह, छोटा सिंह पुत्र देवीसिंह, बहादुर सिंह पुत्र देवीसिंह, बृजबाई पुत्री देवीसिंह, संतोषबाई पुत्री नन्दसिंह, का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके विधिक वारिसान को उक्त प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी बनाया गया है।

• यह कि ग्राम बूढनी तहसील सांगोद में स्थित कृषि भूमि (बीडा) जो कि स्व० श्री देवीसिंह के वंशज नन्दसिंह, मदनसिंह, व गोविन्द सिंह के हिस्से मे आयी थी, मे से श्री मदनसिंह पुत्र देवीसिंह, व गोविन्द सिंह पुत्र देवीसिंह दोनों भाईयों ने उनके हिस्से की कृषि भूमियो को दिनांक 25.4.1944 को कन्हैयालाल पुत्र जयराम माली निवासी खडिया को विकय कर दिया था, श्री मदनसिंह व श्री गोविन्द सिंह द्वारा उक्त कन्हैयालाल माली को विकय की गई कृषि भूमि (बीडा) को प्रार्थीगण के दादा श्री नन्दसिंह पुत्र देवीसिंह स्वयं की निजी कमायी से दिनांक 9.5.1951 को पुनः खरीद लिया था, उक्त खरीद के साक्ष्य स्वरूप तहरीर उसी वक्त निष्पादित कर दी गई थी, वक्त खरीद से वे ग्राम बूढनी स्थित उक्त कृषि भूमि (बीडा) में शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे रहे, तथा उनके स्वर्गवास के उपरान्त प्रार्थीगण कम 1 त्ता 4 के स्व० पिता महावीर सिंह, प्रार्थीकम 5,6,7 के पिता श्यामसिंह उर्फ सूरज सिंह तथा प्रार्थीकम 2 उक्त भूमि में

शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे रहे, तथा वर्तमान में प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 उक्त भूमि में बतौर खातेदार शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे है, जिसमे कभी भी किसी भी व्यक्ति ने अथवा सहखातेदारान ने आपत्ति नही की है. प्रार्थीगण तथा उनके पूर्वजों का कब्जा उक्त भूमि ग्राम बूढनी स्थित खसरा न0746 की 2.40 हेक्टर भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही रहा है, तथा वे खुले रूप में शांति पूर्वक निर्बाध रूपसे उक्त कृषि भूमि मे उपयोग उपभोग में है, तथा वे बाइ ऑपरेशन आफैं लॉ उक्त कृषि भूमि मे खातेदार कृषक हो चुके है।

- यह कि प्रार्थीकम 102 ने ग्राम बूढनी स्थित उक्त कृषि भूमि मे ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए खाते की नकले निकलवायी, तो उनकी जानकारी मे आया, कि ग्राम बूढनी स्थित प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि खसरा न0746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि में से 0.60 हेक्टर कृषि भूमि कम करके उक्त 0.60 हेक्टर कृषि भूमि को नया खसरा न0746ध्1 कायम करते हुए अप्रार्थी कम के नाम से प्रथक से दर्ज कर लिया गया है, उक्त कृषि भूमि किस प्रकार से अप्रार्थी कम 1 के नाम पृथक से दर्ज हुई, इसकी प्रार्थीगण को कभी भी जानकारी नही मिली है. उक्त भूमि मे अप्रार्थी कम 1 अथवा अन्य सहखातेदारान का कभी भी कब्जा नही रहा है, उक्त कृषि भूमि मे अप्रार्थी कम 1 के पिता ने उनके हिस्से की कृषि भूमि को वर्षो पूर्व सन 1944 में विक्रय कर दिया था, जिसके अनुसार भी उक्त कृषि भूमि मे श्री मदनसिंह अथवा उनके पुत्र, पुत्री अप्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 16 का किसी भी प्रकार का अधिकार नही है, अप्रार्थी नं0 2 का नाम उक्त कृषि भूमि मे प्रथक से दर्ज होने की जानकारी मिलने पर प्रार्थी कम 1 ने हल्का पटवारी से जानकारी ली, तो उसकी जानकारी मे आया, कि अप्रार्थी कम 1 ने उक्त कृषि भूमि मे नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी कम 17 को विक्रय कर दिया है, तथा अप्रार्थी कम 17 उक्त कृषि भूमि में नाम दर्ज कराने के प्रयास मे है, प्रार्थीगण ने अप्रार्थी कम 1 से कहा भी, कि आपका उक्त कृषि भूमि मे कोई हिस्सा नहीं है, केवल मात्र नाम है, फिर आप इस जमीन को कैसे बेच सकते हो, इस पर अप्रार्थी कम 1 ने कहा, कि मुझे जो ठीक लगा, मैने कर दिया, अब तुमको जो करना हो, कर लो, अप्रार्थी कम 1 द्वारा किये गये कथन से प्रार्थीगण को यह विश्वास हो गया है, कि अप्रार्थी नं0 1 के मन में बदयान्ती आ चुकी है, तथा वह प्रार्थीगण की किसी भी बात को मानने को तत्पर नहीं है. इसलिए प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वह अप्रार्थीगण के विरूद्ध माननीय न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, विभाजन कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताए के साथ प्रार्थना पत्र बाबत चाहने अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ है, जिसके लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

- यह कि यदि अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद से पाबन्द नहीं किया गया, तो अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक कृत्य में सफल हो जावेगें, जिससे प्रार्थीगण को काफी अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति भविष्य मे नही हो सकेगी, प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है, और सुविधाओ का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे विद्यमान है।

- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की

अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पारित फरमायी जावे कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी कम 2 के पक्ष में व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे, कि अप्रार्थीगण ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा न0746 की 1.80 हेक्टर व खसरा न0746/1 की 0.60 हेक्टर इस प्रकार कुल 2.40 हेक्टर कृषि भूमि मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीकम 2 के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने का प्रयास नही करे, प्रार्थीगण को शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने दे, और न ही राजस्व रेकार्ड के इन्द्राज मे परिवर्तन करने का प्रयास करे। उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे, और न ही अपने किन्ही नौकरो व एजेन्टों से ऐसा करावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 1 की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत हुआ कि :—

- यह कि ग्राम बूढनी पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा न0 101 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा रहे है, उक्त साबिक खसरा न0 101 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा नन्दसिंह व उनके भाईयो मदनसिंह, बहादुर सिंह, छोटा सिंह, विजयसिंह, गोविन्द सिंह, के नाम से दर्ज रही है, जो स्वीकार है, शेष तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है। उक्त कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होना भी स्वीकार है।

- यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी के बीच आपसी सहमति से कृषि भूमियो का विभाजन नही हुआ है, बल्कि अप्रार्थी कम 1 के स्व० पिता मदनसिंह द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण स0 209/97 बउनवान मदनसिंह बनाम नन्दसिंह है, जिसके द्वारा दिनांक 19.12.2000 को डिकी निर्णय प्राप्त कर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में साबिक खसरा न0 101 की 3 बीघा 14 बिस्वा पूर्वी तरफ, मे जर्ये नामान्तरण सं0 2 दिनांक 3.1.2002 को दर्ज किया गया, जिसमे मदनसिंह जो वादी था, उसका स्वर्गवास होने की वजह से अप्रार्थी कम 1 व उसकी बहिन सूरजकंवर बाई दोनो के नाम खाते मे दर्ज हुए, तथा शेष आराजी खसरा न0 101 की 11 बीघा 2 बिस्वा चांदसिंह, श्यामसिंह, महावीर सिंह, लक्ष्मीबाई, संतोषबाई, व बृजकंवर बाई तथा गोविन्द सिंह, बहादुर सिंह, व विजय सिंह व बृजबाई जाति राजपूत के नाम पश्चिमी तरफ की दर्ज करने का आदेश हुआ, जो दिनांक 3.8.2002 को तस्दीक किया गया। उक्त साबिक खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 746 की 2.40 हेक्टर की आराजी कायम की गई, और खसरा न0 746/1 की 0.60 हेक्टर आराजी अप्रार्थी कम 1 किशनलाल के सेपरेट खाते दर्ज हुई। अप्रार्थीकमा के पिता द्वारा ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू में स्थित आराजी बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया था, इसलिए वाद को आंशिक रूपसे स्वीकार करते हुए माल ग्राम बूढनी की आराजी का ही बंटवारा किया गया।

- यह कि अप्रार्थी कम द्वारा अपने दादा की पैतृक सम्पत्ति मे प्राप्त हिस्से को ही जयें बंटवारा प्राप्त करके अलग से अपने खाते दर्ज करवायी गई है। इसलिए अप्रार्थी कम1 खसरा न 0746/1 की 0.60

हेक्टर आराजी का स्वतन्त्र मालिक है, और उक्त आराजी को अप्रार्थी कम1 को खुर्द बुर्द, रहन आदि करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

• यह कि प्रार्थना पत्र के तथ्य स्वीकार नहीं है। उसमें खसरा नं. 0746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि मे से 0.60 हेक्टर कृषि भूमि कम करके कृषि भूमि को नया खसरा न0 746/1 कायम करते हुए अप्रार्थी कम 1 के नाम से प्रथक से दर्ज करना स्वीकार है, और उक्त आराजी अप्रार्थी कम 1 को अपने स्व० पिता मदनलाल के द्वारा बंटवारे के वाद पत्र से प्राप्त हुई है, जिसमे अप्रार्थीगण व इनके वारिसान को भी सभी को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, जिसे अप्रार्थी कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 17 रामेश्वर मेहता को जर्ये विकय विलेख बेचान भी कर दिया गया, शेष तथ्य अस्वीकार है।

• यह कि अप्रार्थी कम 1 स्वयं खातेदार कृषक है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 के एकल स्वामित्व की आराजी पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है, और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपरिमित क्षति होने की कोई संभावना है।

• यह कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं है, और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही है।

• अतः प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है, चूंकि खसरान0 746 की 1.80 हेक्टर व खसरा न0 746/1 की 0.60 हेक्टर कुल 2 किता की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि मे अप्रार्थी कम खसरा न0 746/1 का एकल खातेदार है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नही है।

इसी प्रकार से अप्रार्थी कं. 17 द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि :—

• यह कि ग्राम बूढनी पटवारहल्का उमरदा तहसील सांगोद जिला कोटा में खसरा न0 746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक खसरा न0 101 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा रहे है, उक्त साबिक खसरा न0 101 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण के दादा नन्दसिंह व उनके भाईयो मदनसिंह, बहादुर सिंह, छोटा सिंह, विजयसिंह, गोविन्द सिंह, के नाम से दर्ज रही है, जो स्वीकार है, शेष तथ्य जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है।

• यह कि क्योंकि वादीगण व प्रतिवादी के बीच आपसी सहमति से कृषि भूमियो का विभाजन नही हुआ है, बल्कि अप्रार्थी कम 1 के स्व०पिता मदनसिंह द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सांगोद के न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया था, जो प्रकरण स० 209/97 बउनवान मदनसिंह बनाम नन्दसिंह है, जिसके द्वारा दिनांक 19.12.2000 को डिकी निर्णय प्राप्त कर अप्रार्थी कम 1 का नाम राजस्वरेकार्ड जमाबन्दी मे साबिक खसरा न० 101 की 3 बीघा 14 बिस्वा पूर्वी तरफ, मे जर्ये नामान्तरण सं0 2 दिनांक 3.1.2002 को दर्ज किया गया, जिसमे मदनसिंह जो प्रार्थी था, उसका स्वर्गवास होने की वजह से अप्रार्थी

कं. 1 व उसकी बहिन सूरजकंवर बाई दोनो के नाम खाते मे दर्ज हुए, तथा शेष आराजी खसरा नं0 101 की 11 बीघा 2 बिस्वा चांदसिंह, श्यामसिंह, महावीर सिंह, लक्ष्मीबाई, संतोषबाई, व बृजकंवर बाई तथा गोविन्द सिंह, बहादुर सिंह, व विजय सिंह व बृजबाई जाति राजपूत के नाम पश्चिमी तरफ की दर्ज करने का आदेश हुआ, जो दिनांक 3.8.2002 को तस्दीक किया गया। उक्त साबिक खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 746 की 2.40 हेक्टर की आराजी कायम की गई, और खसरा न0 746/1 की 0.60 हेक्टर आराजी अप्रार्थी कम 1 किशनलाल के सेपरेट खाते दर्ज हुई, अप्रार्थी कम 1 के पिता द्वारा ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू मे स्थित आराजी बाबत कोई अनुतोष नही चाहा गया था, इसलिए वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माल ग्राम बूढनी की आराजी का ही बंटवारा किया गया, बंटवारे मे प्राप्त आराजी को अप्रार्थी न01 द्वारा मुझ अप्रार्थी नं0 17 रामेश्वर मेहता को जर्ये विक्रय विलेख दिनांक 30.9.2020 कमांक 202003303100997 के द्वारा कय की गई थी, जिसका नामान्तरण स० 470 दिनांक 30.12.2020 खोला गया, जिस पर वक्त खरीद से अप्रार्थी नं0 17 शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में है, जिसके बाद प्रार्थीगण के मन में बदनियती आ जाने से उक्त आराजी को विवादित बताकर माननीय न्यायालय मे वाद पेश कर वाद व प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थी नं0 17 की आराजी पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का सजरा जानकारी के अभाव मे अस्वीकार है।

- यह कि अप्रार्थी कम 1 द्वारा अपने दादा की पैतृक सम्पत्ति मे प्राप्त हिस्से को ही जर्ये बंटवारा प्राप्त करके अलग से अपने खाते दर्ज करवायी गई है। इसलिए अप्रार्थी कम 1 खसरा न 0746/1 की 0.60 हेक्टर आराजी का स्वतन्त्र मालिक है, और उक्त आराजी को अप्रार्थी कम 1 को खुर्द बुर्द, रहन आदि करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तथा मुझ अप्रार्थी नं0 17 ने नियमानुसार जयें विक्रय विलेख उक्त आराजी कय कर कब्जा प्राप्त किया है।

- यह कि उसमें खसरा नं0 746 की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि मे से 0.60 हेक्टर कृषि भूमि कम करके कृषिभूमि को नया खसरा न0 746/1 कायम करते हुए अप्रार्थी कम 1 के नाम से प्रथक से दर्ज करना स्वीकार है, और उक्त आराजी अप्रार्थी कम 1 को अपने स्व०पिता मदनलाल के द्वारा बंटवारे के वादपत्र से प्राप्त हुई है, जिसमे अप्रार्थीगण व इनके वारिसान को भी सभी को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है, जिसे अप्रार्थी नं. 1 द्वारा मुझ अप्रार्थी नं0 17 रामेश्वर मेहता को जर्ये विक्रय विलेख दिनांक 30.9.2020 कमांक 202003303100997 के द्वारा बेचान की गई थी, जिसका नामान्तरण स० 470 दिनांक 30.12.2020 खोला गया, जो राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रेकार्ड है, जिस पर वक्त खरीद से मुझ अप्रार्थी न० 17 शांति पूर्वक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे है, शेष तथ्य अस्वीकार है।

- यह कि अप्रार्थी कम 1 स्वयं खातेदार कृषक है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी कम 1 के एकल स्वामित्व की आराजी पर प्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है, और न ही प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपरिमित क्षति होने की कोई संभावना है।

• यह कि अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी प्रकार का कोई प्रथम दृष्टया मुकदमा नहीं है, और सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

• यह कि प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है, चूंकि खसरा नं0 746 की 1.80 हेक्टर व खसरा न0 746/1की 0.60 हेक्टर कुल 2 किता की 2.40 हेक्टर कृषि भूमि मे अप्रार्थी कम 1 खसरा न0 746/1 का एकल खातेदार है, जिससे अप्रार्थी न0 1 ने अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम बूढनी पटवार हल्का उमरदा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 746/1 की 0.60 हैक्टर आराजी मुझ अप्रार्थी कं. 17 को जर्ये विकय विलेख दिनांक 30.9.2020 कमांक 202003303100997 विधिवत रूप से विकय विलेख का पंजीयन करवाकर कब्जा संभलाया है, जिस पर वर्तमान में मुझ अप्रार्थी नं0 17 रामेश्वर मेहता मौके पर शांति पूर्वक काबिज काश्त है, जिसे प्रार्थीगण उक्त वाद व प्रार्थना पत्र की आड मे विवादित आराजी बताकर जबरन कब्जा करने का असफल प्रयास कर रहे है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

• अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे। साथ ही मुझ अप्रार्थी नं. 17 के एकल खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा न0 746/1 की 0. 60 हेक्टर आराजी में किसी प्रकार से काश्त करने मे बाधा कारित नही करने हेतु प्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्या को दोहराया। वकील प्रार्थी ने अपने बहस में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया कि आपसी सहमति से हुए मौके पर विभाजन के फलस्वरूप श्री देवीसिंह के वंशज मदनसिंह, गोविन्द सिंह, व नन्दसिंह के हिस्से में ग्राम बूढनी की साबिक खसरा न0101 की 14 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि आयी थी, तथा श्री विजयसिंह, बहादुर सिंह, छोटा सिंह के हिस्से में ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू मे खसरा न01214/1426, 1221, 179, 207, 208, 90, 91 इस प्रकार कुल किता 7 की कुल 4.55 हेक्टर कृषि भूमियों आयी थी। इस प्रकार ग्राम बूढनी की आराजी पर अप्रार्थी कं. 1 अथवा अन्य सहखातेदारान का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त कृषिभूमि में अप्रार्थी कं. 1 के पिता ने उनके हिस्से की कृषिभूमि को वर्षों पूर्व सन् 1944 में विकय कर दिया था जिसे प्रार्थीगण के दादा नन्दसिंह द्वारा स्वयं की निजी कमाई से दिनांक 09.05.1951 को पुनः खरीद लिया था जिसकी साक्ष्य स्वरूप तहरीर उसी वक्त निष्पादित कर दी गई थी। लिहाजा वक्त खरीद से ही ग्राम बूढनी की कृषिभूमि में प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं किन्तु अप्रार्थी कं. 1 ने मात्र राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी कं. 17 को विकय कर दी है जिसके आधार पर अप्रार्थी कं. 17 जो कि स्ट्रेंजर पर्सन है, वह प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करके कब्जा करने पर आमादा है जिसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराया और मुख्यतः कथन किया कि

अप्रार्थी कं. 1 किशनसिंह के दादा व वादी के दादा के पिता एक ही थे तथा पैत्तृक सम्पत्ति के संबंध में हमारे पिता किशनसिंह के पिता ने वाद संख्या 209/97 बउनवानी मदनसिंह बनाम नन्दसिंह वगैरा दायर किया था जिससे जिसमें अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 19.12.2000 को पारित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के खाते अलग–अलग दर्ज हुये थे। हमारा खाता गत 25 वर्षों से पृथक है जिसके कारण प्रार्थी को दावा लाने का अधिकार नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा जो बंटवारा की तहरीर पेश की है, वह तहरीर अनस्टाम्पित व अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तथा उक्त तहरीर के बिन्दु भी उक्त पूर्ववाद में निर्णित हो चुके हैं एवं जब प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वर्ष 2000 में ही दावा डिक्री हो चुका है तो हस्तगत वादी व टीआई प्रार्थना पत्र रेसजूडिकेटा के चलते कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होकर काबिल खारिजा है। अप्रार्थी कं. 1 द्वारा अप्रार्थी कं. 17 को जो बेचान किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है व विक्रय पत्र की पालना में नामान्तरण भी खुल गया है एवं कब्जा आराजी मौके पर अप्रार्थी कं. 17 का चला आ रहा है किन्तु अन्तरिम स्थगन की वजह से रहन दर्ज नहीं हो सका है। ऐसी सूरत में कानूनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से काबिल खारिजा है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39, नियम 1 व 2 सीपीसी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्नलिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है :–

1. क्या प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस है ?
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस है :–

वकील प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह है कि हमने पत्रावली का सूक्ष्मतम अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात से यह प्रथमदृष्टया प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैत्तृक सम्पत्ति है तथा पैत्तृक सम्पत्ति में निहित हक व हिस्से के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों को अस्थाई प्रार्थना पत्रों के माध्यम से निर्णित नहीं किया जा सकता है। यह भी गौरतलब है कि पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत बंटवारा तहरीर व खरीद की तहरीर यद्यपि सादा तहरीर है किन्तु कब्जे के संबंध में उक्त तहरीरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। साथ ही जहां उभय पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं अप्रार्थी कं. 1 द्वारा अपने हिस्से के सबंध में अप्रार्थी कं. 17 के हक में विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया है जिससे अप्रार्थी कं. 17 का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट हुआ है किन्तु जहां पक्षकारों के मध्य पूर्व मौके पर विभाजन हो चुका है, वहां प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में अप्रार्थी कं. 17 को हस्तक्षेप करने की अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित होता है।

(ख) क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

चूंकि वादग्रस्त आराजी में निहित पक्षकारों के अधिकारों का विनिश्चय मूलवाद में ही बाद साक्ष्य तय होना है किन्तु प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। लिहाजा सुविधा का सन्तुलन इसी में है कि उभय पक्षकारों को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी के मौके व रिकार्ड की के संबंध में ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से रोक दिया जावे अन्यथा प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी :–

चूंकि प्रथमदृष्टया केस व सुविधाओं के सन्तुलन का बिन्दु उपरोक्तानुसार तय किया जा चुका है। लिहाजा मेरी राय में यदि पक्षकारों को ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अप्रार्थी कं. 17 द्वारा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्ण कब्जेकाश्त में दखलंदाजी करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यदि पक्षकारों को ताफेसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा के बिना खुला छोडा जाता है तो वे परस्पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं जिससे पक्षकारों को अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रकट होती है।

अतः प्रार्थीगण जसराजसिंह वगैरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद प्रसारित की जाती है कि वे ग्राम बूढनी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 746 की 1.80 हैक्टर, खसरा नंबर 746/1 की 0.60 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 2.40 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी कं. 2 के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाने का प्रयास नहीं करें एवं मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और न ही अपने नोकरों, एजेन्टों अथवा अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनॉक 13/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद